

# न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 05/2024

बउनवान

न्नोज आयु 41 वर्ष पुत्र श्री दुलीचन्द जाति कोली, निवासी ग्राम बड़ां, तहसील बारां, जिला बारां राज० (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, कोयला, जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिस्थिति :- 1. श्री ओम मेहता, IIA अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)




निर्णय दिनांक— 18.03.2024

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला के आदेश दिनांक 30.12.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बड़ां तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 2214 रकबा 0.16 है., किस्म- सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी मानकर मानकर 80/- रूपये शास्ति आरोपित कर 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं दिया गया न ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखली नामा शामिल नहीं किया गया है, तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नहीं की है, और न ही पेमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है तथा न ही कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये गए हैं। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है, अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त आराजियात खाली पड़ी हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

  
जिला कलेक्टर  
बारां (राज०)



दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खण्डन किया कि अपीलांट को नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवाई गई है ना ही सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा पत्रावली में पूर्व का बेदखली नामा शामिल नहीं किया गया है। अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2022 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व प्रकरण संख्या 119/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.22 की प्रति संलग्न है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 119/22 में पारित निर्णय द्वारा बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने आरोपित जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है। पूर्व प्रकरण संख्या 119/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2022 की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 2214 रकबा 0.32 है0 किस्म सिवायचक ग्राम बड़ां पर सम्वत् 2079 खरीफ में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 119/22 में पारित निर्णय से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न निर्णय दिनांक 13.09.22 से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कोयला द्वारा प्रकरण संख्या 217/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(रोहिताश्व सिंह तोमर)  
जिला कलक्टर  
बारान (राजस्थान)